

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून
कार्यालय आदेश संख्या: 69

विषय: आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का पुनर्गठन।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिपेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) के पुनर्गठन के क्रम में, वर्तमान अध्यक्ष, श्रीमती सुखनन्दन सभरवाल, उपमहालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं हकदारी), पंजाब, चण्डीगढ़ के स्थान पर इस कार्यालय परिसर में कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) उत्तराखण्ड में कार्यरत श्रीमती सरिता कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति की अध्यक्ष (Presiding Officer) नामित किया जाता है।

तदनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्गठित आंतरिक शिकायत समिति निम्नानुसार होगी:

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में पद
1	श्रीमती सरिता कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ उपमहालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून	अध्यक्षा (Presiding Officer)
2	डा. शालिनी बहुगुणा बछेती, सहायक प्राध्यापक, ICFAI University, देहरादून	सदस्य
3	श्री मुकेश कुमार चौधरी, व.ले.प.अ., कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
4	श्रीमती उषा सिंह, व.ले.प.अ., कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
5	श्रीमती अलका सक्सेना, स.ले.प.अ., कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
6	श्रीमती रखा, स.ले.प.अ., कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
7	श्रीमती पिकी राणा, स.ले.प.अ., कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य

Digitally signed by
Mukesh Kumar
Date: 26-08-2026
16:38:38

उपमहालेखाकार (प्रशासन)